छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक एफ 4-15/खाद्य/2007/29 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन विषयक ।

भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य एवं निर्धारित गुणवत्ता के आधार पर विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावेगा, जिस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं -

1. समर्थन मूल्य -

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 के लिए औसत अच्छी किस्म के (एफ.ए.क्यू.) धान एवं मक्का के लिए निम्नानुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है:-

धान	राशि रूपए क्विंटल में
कॉमन	645.00
ग्रेड-"ए"	675.00
मक्का	620.00

2. उपार्जन की समयावधि -

खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद खरीदी समर्थन मूल्य योजनांतर्गत दिनांक 01 नवंबर, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक एवं लिंकिंग योजना के तहत दिनांक 01 नवंबर, 2007 से 15 फरवरी, 2008 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 01 नवंबर, 2007 से 15 फरवरी, 2008 तक की जावेगी ।

3. उपार्जन एजेंसी -

3.1. राज्य के समस्त जिलों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।

3.2. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्ही कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । उन्हें प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र के लिए छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ के निर्देशानुसार कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

3.3. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोडकर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर

धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा । जिले में मांग एवं आवश्यकतानुसार कलेक्टर द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों अथवा लेम्पस के माध्यम से अतिरिक्त उप केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु अनुमति देने के पूर्व कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकेंद्र पर छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ के निर्देशासनुसार कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व करवा ली गई है।

3.4. राज्य की मंडियों में राज्य शासन द्वारा अधिकृत उपार्जन एजेंसियों द्वारा धान एवं मक्का की खरीदी नहीं की जावेगी, किन्तु नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं क्रय शुल्क का उपार्जन एजेंसी द्वारा भुगतान किया जावेगा ।

4. उपार्जन की अनुमानित मात्रा -

खरीफ वर्ष 2007-08 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 40.00 लाख मेट्रिक टन धान एवं 10000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित हे । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक संलग्न है।

5. साख-सीमा की व्यवस्था -

समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु आवश्यक साख सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जावेगी । समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जावेगी ।

6. बारदाना की व्यवस्था –

6.1. अनुमानित 40.00 लाख मेट्रिक टन धान की भरती हेतु आवश्यक बारदानों का डी.जी.एस. एण्ड डी. से क्रय कर छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों

को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराया जावेगा । समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को मांग अनुसार एक भरती बारदाना उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।

6.2. छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।

6.3. संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

6.4. धान उपार्जन हेतु प्रदाय किए गए बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।

6.5. आपके जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भंडारित किया जाए, एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भंडारित किया जाए ताकि दोनो प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके ।

7. उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था –

7.1. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 हेतु धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बेनरों, हण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके । भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 के लिए एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टयों की छायाप्रति संलग्न है।

7.2. धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे-बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे ।

7.3. धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गडढे वाली न हो अपितु आस-पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो ।

7.4. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

7.5. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के सेम्पल

कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जावे।

7.6. प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ-साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित की जावे ।

8. उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण –

8.1. आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी की समस्त कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है, जिस हेतु आरंभिक निर्देश प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा जारी किए जा चुके हैं । धान खरीदी प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराई जावे –

8.1.1. आपके जिले में संचालित किए जाने वाले उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण करने के उपरांत प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु मार्कफेड द्वारा निर्धारित स्पेसिफीकेशन के अनुसार एक कम्प्यूटर, दो प्रिंटर, 5 के.व्ही.ए. का जनरेटर तथा यू.पी.एस. क्रय कर लिया जावे । क्रय किए गए कम्प्यूटर के इंस्टालेशन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए साफ्टवेयर को अपलोड करने संबंधी समस्त कार्य हेतु आवश्यक तैयारी दिनांक 10.10.2007 तक पूर्ण कर ली जावे ।

8.1.2. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु कम्प्यूटर आपेरटर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सहकारिता विभाग द्वारा की जा चुकी है, साथ ही इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाकर मार्कफेड द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा चुका है । कृपया निर्धारित समय-सीमा में कम्प्यूटर आपरेटर के प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें ।

8.1.3. आपके जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों के अंतर्गत

आने वाले समस्त किसानों की जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए साफ्टवेयर में भरी जाना है। कृपया संबंधित क्षेत्र के समिति प्रबंधक एवं पटवारी के माध्यम से यह जानकारी अनिवार्य रूप से दिनांक 15.10.2007 तक दर्ज करा ली जावे । यह समस्त जानकारी दिनांक 16-10-2007 को एन आई सी के जिला सूचना केंद्र के माध्यम से राज्य स्तर पर भेजी जानी है अतः कृपया प्रत्येक समिति की जानकारी की सी डी दिनांक 15-10-2007 तक जिला स्तर पर प्राप्त कर लें ।

8.1.4. धान उपार्जन अवधि के दौरान जानकारी के शीघ्र आदान प्रदान हेतु मार्कफेड द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में आवश्यकतानुसार मोटर साईकल सवारों की सेवा लेगा जो प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लायेंगे एवं विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर भरेंगे । इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे । ऐसे मोटर साईकल सवारों को कम्प्यूटर संचालन के साथ-साथ थोडा कम्प्यूटर सुधार का भी ज्ञान आवश्यक है। कृपया आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल सवारों की नियुक्ति जिला विपणन अधिकारी से चर्चा कर शीघ्र पूर्ण करावें साथ ही इनके लिए उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही भी तत्काल करा ली जावे ।

8.1.5. विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वी.सेट का निरीक्षण करा लें तथा यदि यह कार्यशील अवस्था में

नहीं है तो, धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व इसे सुधार लिया जावे ।

8.1.6. धान उपार्जन केन्द्रों की भांति मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्रों का भी कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रचलित है। आपके जिले में धान के संग्रहण हेतु मार्कफेड द्वारा चिन्हांकित स्थलों में कम्प्यूटर के संचालन हेतु कक्ष निर्माण तथा व्ही. सेट की स्थापना हेतु पक्के चबूतरों के निर्माण संबंधी कार्य शीघ्र संपादित कर लिया जावे ।

8.1.7. किसानों को धान की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए चेक के माध्यम से तत्काल किया जावेगा । इस हेतु आवश्यक चेकरोल प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में दिनांक 25.10.2007 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

8.1.8. धान खरीदी एवं निराकरण की समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, अत: आपके जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड एवं भारतीय खाद्य निगम के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे । कस्टम मिलिंग के कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित समस्त प्रक्रिया संबंधित जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

8.1.9. कम्प्यूटरीकरण का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा रायपुर में कराया जा रहा है । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की गई समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु रायपुर भेजना सुनिश्चित करें । क्योकि समय कम है, इसलिए जो व्यक्ति समय

सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके लिए बाद में प्रशिक्षण आयोजित करना संभव नहीं होगा ।

8.1.10. धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन प्रत्येक जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र में दिनांक 20-10-2007 से प्रारंभ होकर दिनांक 30-10-2007 तक चलेगा । यह ट्रायल रन एक प्रकार से फुल ड्रेस रिहर्सल होगा जिसमें सभी धान उपार्जन केंद्र भाग लेंगे, और इसमें पूरी प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो वास्तविक धान खरीदी के समय अपनाई जानी है। इसका उद्देश्य यह है कि कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था की सभी खामियों की पहचान वास्तविक धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व हो जाए, तथा सभी खामियों को दूर कर लिया जाए । प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केंद्र इसमें भाग नहीं लेंगे उनमें धान उपार्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केंद्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 20-10-2007 के पूर्व पूर्ण हो जाए, और सभी केंद्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।

9. **उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण –**

9.1. धान एवं मक्का खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक है कि निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का की खरीदी तथा विभाग द्वारा धान खरीदी कार्य के किए जा रहे कम्प्यूटरीकरण के संबंध में छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय

खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिया जावे । अत: प्रत्येक जिले में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा कर दिनांक 20 अक्टूबर, 2007 तक आयोजित कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जावे ।

9.2. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहकारी समितियों से दो व्यक्तियों अर्थात समितियों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति सेवक, राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों तथा छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जावे ।

10. **उपार्जन की प्रक्रिया –**

10.1. खरीफ वर्ष 2006-07 की भांति खरीफ वर्ष 2007-08 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा । इस संबंध में संबंधित समितियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की जावे ।

10.2. प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों की जानकारी साफ्टवेयर में पहले से ही दर्ज होगी, जिसके आधार पर धान खरीदी का कार्य किया जावेगा । किन्तु यदि किसी का नाम किसी कारणवश साफ्टवेयर में नहीं हो पाया हो तो ऐसे किसान का नाम साफ्टवेयर में जोडते हुए उससे धान का क्रय किया जावेगा ।

10.3. धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया

जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा ।

10.4. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

10.5. लिंकिंग योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2006-07 की भांति खरीफ वर्ष 2007-08 में भी मात्र जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिंकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

11. **गुणवत्ता –**

11.1. उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मात्र एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय किया जावेगा, जिसके विनिर्दिष्टियों की प्रति संलग्न है।

11.2. एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

11.2.1. प्रदेश स्तर से धान एवं मक्का की गुणवत्ता, भण्डारण, परिवहन आदि की जांच एवं व्यवस्था हेतु भारतीय खाद्य निगम एवं विपणन संघ के अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की जावे ताकि गुणवत्ता आदि को लेकर भारतीय खाद्य निगम एवं विपणन संघ के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो । इस संबंध में प्रबंध संचालक, विपणन

संघ तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा तत्काल टीमें गठित कर विभाग को अवगत कराया जावे ।

11.2.2. जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा राजस्व, सहकारिता, भारतीय खाद्य निगम, विपणन संघ, खाद्य एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की टीमें गठित की जावे, जिन्हें कलेक्टर द्वारा संग्रहण केन्द्र आबंटित कर सतत निरीक्षण का कार्य सौंपा जावे । यह निरीक्षण दल भी धान एवं मक्का की गुणवत्ता, भण्डारण, परिवहन, बारदानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, कम्प्यूटरीकरण का संचालन, किसानों द्वारा धान एवं मक्का विक्रय और उसका भुगतान प्राप्त करने आदि में आने वाली कठिनाईयों की जांच करेंगे और कलेक्टर को अपना नियमित प्रतिवेदन देंगे ।

11.2.3. सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं वास्तविक किसानों से धान की खरीदी एवं मानिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे :-

1. सहकारी समिति का अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि (राइस मिलर न हो)
4. प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राइस मिलर न हो)

11.2.4. उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का

वास्तविक किसानों से ही क्रय किया जाए । समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रति एकड औसत उपज आकलन के आधार पर ही धान एवं मक्का उपार्जन का कार्य किया जावे ।

11.2.5. जिला एवं सहकारी समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से 15 अक्टूबर, 2007 तक उपलब्ध कराया जावे ।

12. **भुगतान व्यवस्था -**

12.1. किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र पर कम्प्यूटर के माध्यम से तय्यार किए गए चेक द्वारा तत्काल किया जावेगा ।

12.2. धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अत: उनकी साख सीमा गत वर्ष की तरह पांच लाख रूपए निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे।

12.3. विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके ।

12.4. जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है, उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोला जावे, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

12.5. कृषकों को धान के त्वरित भुगतान हेतु बैंकों में आवश्यक राशि उपलब्ध

हो, यह सुनिश्चित करने हेतु एक समिति में उपार्जित धान के भुगतान हेतु एक से अधिक बैंकों को संबंद्ध किया जावे ।

12.6. किसानों को उपज का भुगतान बैंकों के माध्यम से मिलने में कठिनाई नहीं हो इसके लिए बैंकों से उनकी शाखाओं की केश लिमिट कम से कम 10 से 20 लाख रूपए रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

12.7. बस्तर, दंतेवाडा एवं कांकेर जिलों को छोडकर अन्य जिलों में कृषकों को धान का भुगतान दस हजार रूपए तक बियरर चेक से तथा उससे ऊपर क्रास चेक के माध्यम से किया जावे । बस्तर, दंतेवाडा एवं कांकेर जिलों में कृषकों को पांच हजार रूपए तक का भुगतान नगद रूप में पांच से दस हजार रूपए तक का भुगतान बियरर चेक से तथा दस हजार रूपए से ऊपर के भुगतान क्रास चेक से किया जावे ।

12.8. समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मक्का हेतु किसानों को कृषकों को पांच हजार रूपए तक का भुगतान नगद रूप में, पांच से दस हजार रूपए तक का भुगतान बियरर चेक से तथा दस हजार रूपए से ऊपर तक के भुगतान क्रास चेक से किया जावे ।

12.9. सहकारी बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की ऋण-पुस्तिकाएं किसी भी परिस्थति में संबंधित बैंक द्वारा अपने पास नहीं रखा जावेगा, इसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

12.10. धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं प्रशासनिक व्यय की राशि जोड कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध

कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा, एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा ।

13. **भण्डारण व्यवस्था –**

13.1. उपार्जित धान में से छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार धान का हस्तांतरण भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया जावे, जिसके सुरक्षित भण्डारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जावेगी । शेष धान के सुरक्षित संग्रहण की आवश्यक व्यवस्थाएं छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सुनिश्चित की जावे।

13.2. उपार्जित धान को गोदामों में भण्डारित करने हेतु उपार्जन एजेंसी द्वारा स्वंय के, छत्तीसगढ राज्य भण्डार गृह निगम के गोदामों, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम के गोदामों तथा निजी गोदाम का उपयोग किया जावे ।

13.3. धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डेनेज मटेरियल एवं कप कव्हर्स आदि की व्यवस्था राज्य की उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित धान के भण्डारण की व्यवस्था उनके द्वारा की जावेगी । धान को खुले में कप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्रय किए गए कप कव्हर्स, सीमेन्ट ब्लॉक, चटाई, पोलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आश्यकतानुसार डेनेज सामग्री एवं कप-कव्हर खरीदी उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावे ।

13.4. राज्य की धान उपार्जन एजेंसी द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम

मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

13.5. धान उपार्जन केंद्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

14. **परिवहन व्यवस्था –**

14.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन हेतु कलेक्टर द्वारा निविदा आमंत्रित की जावे । इस हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावे जिसमें जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं व भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक सम्मिलित होंगे । धान के परिवहन हेतु यदि दरें पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत तक आती हो तो परिवहन दरों का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया जावे । यदि परिवहन दरें विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक आती हो तो उसका अनुमोदन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

14.2. परिवहन हेतु निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जावे ताकि धान के परिवहन हेतु पर्याप्त वाहन उपलब्ध हो सके तथा बोगस निविदाकर्ताओं को प्रतिबंधित किया जा सके ।

14.3. धान के परिवहन के दौरान गुणवत्ता से संबंधित अनावश्यक विवाद को रोकने हेतु सहकारी समितियों को उपार्जन केन्द्र से लेकर भण्डारण केन्द्र तक धान के परिवहन के संपूर्ण कार्य सौंपा जावे ।

14.4. धान के परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है।

14.5. विशेष परिस्थतियों में धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र में धान के परिवहन की अनुमति प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा दी जा सकेगी ।

14.6. धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेडम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा ।

15. **हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय -**

15.1. खरीफ वर्ष 2007-08 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।

15.2. सहकारी समितियों को धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –

15.2.1. उपार्जन केन्द्र से भारतीय खाद्य निगम अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की 01 प्रतिशत राशि के साथ प्रासंगिक व्यय की राशि 4.00 रूपए प्रति क्विंटल तथा प्रशासनिक व्यय के रूप में राशि रूपए 5.00 प्रति क्विंटल के मान से देय होगी ।

15.2.2. धान के समर्थन मूल्य की 0.2 प्रतिशत राशि बैंक सर्विस चार्ज के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को देय होगी ।

15.3. जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की

प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी । इस हेतु गत वर्ष बैंक सर्विस चार्ज की राशि में वृद्धि की गई है।

16. **कस्टम मिलिंग –**

16.1. खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अत: आपके जिले में संचालित राईस मिलों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जावे । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

16.2. धान के विपुल उपार्जन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु मिलर्स के पंजीयन के उपरांत कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति की कार्यवाही अग्रिम रूप से धान उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही मिलर्स को जारी किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जावे । इस हेतु आपके जिले में संभावित उपार्जन एवं मिलिंग क्षमता का आकलन कर कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन, अनुमति एवं अनुबंध की तैयारी अविलंब प्रारंभ करें।

16.3. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत चावल उपार्जन का कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा ।

17. **पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –**

17.1. धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

17.2. प्रदेश स्तर पर धान उपार्जन हेतु नियंत्रण कक्ष विपणन संघ कार्यालय में तथा मक्का उपार्जन हेतु नियंत्रण कक्ष छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के कार्यालय में स्थापित किया जावे । जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली धान समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे ।

17.3. उपार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

17.4. खरीफ वर्ष 2006-07 की भांति धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 तक धान उपार्जन केन्द, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।

17.5. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी । धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आपके द्वारा मुझसे अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

18. **सुरक्षा व्यवस्था –**

18.1. धान उपार्जन के दौरान जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु कलेक्टर अथवा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाएगा, तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

19. बीमा –

19.1. विभिन्न कारणों से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाएगा ।

19.2. यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी ।

19.3. धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड

द्वारा कराया जाएगा । इस हेतु उपार्जन केंद्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाएगी ।

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन के संबंध में निर्देशानुसार आरंभिक कार्यवाहियां प्रारंभ करते हुए तदनुसार विभाग को शीघ्र की गई व्यवस्थाओं से अवगत करावें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 4-15/खाद्य/2007/29 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007

प्रतिलिपि-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीजी, रायपुर ।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. समस्त संबंधित जिला प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ शासन, रायपुर ।
6. मुख्य सचिव के अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, कृषि विभाग, रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर को कंडिका 18.1 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर की ओर कण्डिका 17.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
11. सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, रायपुर की ओर कण्डिका 12.2 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
12. सचिव, छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग की ओर कण्डिका 7.4 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
13. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
14. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर ।
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर ।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य भण्डारण गृह निगम, रायपुर ।
17. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, रायपुर ।
18. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
19. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर ।
20. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ, रायपुर ।
21. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ, रायपुर ।
22. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ ।

23. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., छत्तीसगढ ।

24. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग